

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
ललितपुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक 28 अगस्त, 2014

विषय -वर्ष 2013 में आयी बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु
अवशेष धनराशि का राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-3369/1-10-2013-12(27)/13, दिनांक 08.11.2013 द्वारा सिंचाई निर्माण खण्ड-तृतीय, ललितपुर का एक कार्य एवं राजघाट निर्माण खण्ड, ललितपुर के दो कार्यों हेतु मांगी गयी धनराशि का 50 प्रतिशत अर्थात् कुल धनराशि रू0 43,76,500/-, शासनादेश संख्या-3509/1-10-2013-12(27)/13, दिनांक 11.12.2013 द्वारा सिंचाई निर्माण खण्ड-प्रथम, ललितपुर के एक कार्य एवं सिंचाई निर्माण खण्ड, तृतीय, ललितपुर 09 कार्यों एवं राजघाट निर्माण खण्ड, ललितपुर के 06 कार्यों हेतु मांगी गयी धनराशि का 25-25 प्रतिशत अर्थात् कुल धनराशि रू0 19,09,250/- एवं शासनादेश संख्या-3695/1-10-2013-12(27)/13, दिनांक 26.12.2013 के द्वारा सिंचाई निर्माण खण्ड-प्रथम, ललितपुर के एक कार्य एवं सिंचाई निर्माण खण्ड, तृतीय, ललितपुर के 09 कार्यों हेतु एवं राजघाट निर्माण खण्ड, ललितपुर के 06 कार्यों हेतु मांगी गयी धनराशि के सापेक्ष 25-25 प्रतिशत की कुल धनराशि रू0 19,09,250/- आवंटित की गयी थी। इस सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या-1606/तीन-सी0आर0ए0(2013-14) दिनांक 22.03.2014 एवं पत्र संख्या-2895/तीन-सी0आर0ए0(2013-14) दिनांक 12.06.2014 में किए गए अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए सिंचाई निर्माण खण्ड-तृतीय, ललितपुर, राजघाट निर्माण खण्ड ललितपुर एवं सिंचाई निर्माण खण्ड-प्रथम, ललितपुर के कार्यों की मरम्मत हेतु रू0 81,95,000/- (कुल रुपये इक्यासी लाख पंचानबे हजार मात्र) की धनराशि द्वितीय किस्त के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	विभाग का नाम	कार्य का विवरण	द्वितीय किस्त के रूप में स्वीकृत धनराशि (रुपये में)
1	सिंचाई निर्माण खण्ड,	थाना रजवाहा की मरम्मत	15,35,500

	तृतीय, ललितपुर	(30,71,000 का 50 प्रतिशत)	
	राजघाट निर्माण खण्ड, ललितपुर	1-बायीं शहजाद नहर किमी 0 29.800 से 30.200 की मरम्मत हेतु (25,35,000 का 50 प्रतिशत)	12,67,500
		2-शहजाद बांध रिपलवे गाइड बन्ध की मरम्मत हेतु (31,47,000 का 50 प्रतिशत)	15,73,500
2	सिंचाई निर्माण खण्ड-प्रथम, ललितपुर	जाखलौन पम्प नहर प्रणाली की नहरों की पुनर्स्थापना (24,94,000 का 25 प्रतिशत)	12,47,000
	सिंचाई निर्माण खण्ड, तृतीय, ललितपुर	1-निचली राजघाट नहर प्रणाली की पुनर्स्थापना कार्यों से सम्बन्धित 9 परियोजनायें (10,48,000 का 25 प्रतिशत)	5,24,000
	राजघाट निर्माण खण्ड, ललितपुर	1-शहजाद नहर प्रणाली के अन्तर्गत कुल 6 योजनायें (40,95,000 का 25 प्रतिशत)	20,47,500
		कुल योग	81,95,000

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जाँच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते हैं। शासनादेश संख्या-2660/1-10-2012-रा0-10-33(171)/2012, दिनांक 25-10-2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु प्रस्तावों/कार्यों में किसी अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त न होने का कार्यदायी विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी विभाग/जिलाधिकारी का होगा। प्राक्कलित लागत के सापेक्ष वास्तविक आंकलित लागत का ही धनावंटन किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि आवंटन की प्रक्रिया/मार्ग निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-70/1-10-2014-33(94)/2014, दिनांक 23.01.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराते हुये विषयगत मामले/सन्दर्भित कार्यों के बारे में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। यह धनराशि इस शर्त के साथ आवंटित की जा रही है कि उक्त कार्यों को कराये जाने के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश दिनांक 23.01.2014 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

4- उक्त धनराशि का व्यय शा0प0सं0-78/पीएसआर/2012, दिनांक 24-01-2012 के साथ संलग्न

5- बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप से पूर्ण कर लिया जाये। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।

7- कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है । यह स्थिति उचित नहीं है । निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है । अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है । अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

9- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तान्कन कराया जाये और
त्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित
किया जाय।

भवदीय,

(किशन सिंह अटोरिया)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या-565(1)/1-10-2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद ।
- 2- प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, 30प्र0 शासन।
- 3- प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
- 4- आयुक्त, झांसी मण्डल झांसी ।
- 5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0 लखनऊ ।
- 6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त, 30प्र0 शासन ।
- 7- उप निदेशक, (सामान्य) एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट
एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
- 8- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, 30प्र0।
- 9- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, ललितपुर ।
- 10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 11- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 12- गार्ड फाइल ।

12-8-14
अनुसूचित
12.8.2014

आज्ञा से,

(मदन मोहन)
अनु सचिव ।

11-